प्रेस विज्ञप्ति

24/11/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 18.11.2025 से 22.11.2025 तक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बेंगलुरु और गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें मेसर्स निरदेसा नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएनपीएल), मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जीटीपीएल) का कार्यालय और इसके निदेशकों व अन्य आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल हैं।

ईडी ने कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेसर्स निरदेसा नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित गेमिंग प्लेटफॉर्म पॉकेट52 पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें खेल के परिणामों में हेरफेर, खिलाड़ियों की मिलीभगत, तकनीकी गड़बड़ियां, निकासी प्रतिबंध और पारदर्शिता की कमी शामिल है। शिकायतकर्ता ने बताया कि व्यवस्थित धोखाधड़ी के कारण उन्हें 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें पॉकेट52 ने कथित तौर पर चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया, हैंड हिस्ट्री जैसी सुविधाएँ हटा दीं और ज़िम्मेदार गेमिंग प्रथाओं की अनदेखी की। अधिकारियों और उपयोगकर्ताओं का आरोप है कि प्लेटफ़ॉर्म ने अपने एल्गोरिदम में हेराफेरी की और अनुचित खेल को बढ़ावा दिया। पॉकेट52 और उसकी मूल कंपनी के नेतृत्व को धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के लिए एफ़आईआर में नामज़द किया गया है और उन पर जाँच चल रही है।

पीएमएलए, 2002 के तहत जांच और तलाशी की कार्यवाही के दौरान पाया गया कि कई उपयोगकर्ताओं ने हेरफेर, पारदर्शिता की कमी को लेकर शिकायतें/चिंताएं दर्ज की थीं तथापि उपयोगकर्ताओं को उनके नुकसान के लिए मुआवजा न देते हुए कंपनी ने जानबूझकर उपयोगकर्ताओं का शोषण किया। तदनुसार, कंपनी के निदेशकों/संस्थापकों के परिसरों से मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे आपत्तिजनक उपकरण जब्त किए गए हैं और गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के परिसर से भारी मात्रा में डेटा बैकअप लिया गया है। 22.08.2025 को अधिनियमित ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 (पीआरओजी अधिनियम) के प्रचार और विनियमन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी, गेमर्स/ग्राहकों को वापस किए बिना कंपनी द्वारा अपने एस्क्रो खातों में 30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अभी भी रखी गई है। इसके अलावा, विभिन्न बैंकों में भुगतान के लिए एस्क्रो खाते के रूप में रखे गए 8 बैंक खाते (जिनमें लगभग 18.57 करोड़ रुपये का शेष है), जिनमें एनएनपीएल, पॉकेट52 आदि सहित आरोपी संस्थाओं द्वारा अपराध की आय जमा किए जाने का संदेह है, को पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1ए) के तहत फ्रीज कर दिया गया है।

आगे की जांच जारी है।